

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. E (NG)II/2005/RC-4/SC/2

New Delhi, dated 28 /03/2020

The General Manager (P)

All Zonal Railways/Production Units
CORE/Allahabad & Metro Railway, Kolkata.


Sub: Engagement of para-medical categories in Group 'C' on contract basis.

Keeping in view the outbreak of Corona Virus disease, instructions had been issued vide Board's letter of even No. dated 18.03.2020 extending the Scheme of hiring of Paramedical Categories in Group 'C' on Contract basis for a further period of six months beyond 31.03.2020, i.e. upto 30.09.2020 subject to stipulation that total regular staff on roll and contractual engagement will not exceed the sanctioned strength of the cadre.

2. Keeping in view the pandemic situation because of the outbreak of Corona Virus disease, it is apprehended that extra Paramedical staff will be required for handling the enormous rush expected in few weeks. Therefore, to meet the situation, it has been decided to authorise General Manager/CAO/DRMs to engage retired Paramedical staff up to age of 65 years or to hire Paramedical staff on Contract basis for a period of one month over and above the sanctioned strength of the cadre depending upon the requirement. This is purely a temporary measure and after expiry of one month, the *status quo ante* will be restored with regard to total strength and delegation of power unless extended by further orders.

3. The concurrence of the Associate Finance at Railway/PU/Divisional Level may be obtained before resorting to engagement in terms of these instructions.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways (Railway Board).


(KAMAL SINGH)
For Principal Executive Director (Rectt) & EDE(N)
Railway Board

Copy to: EDH(G)/Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)।।/2005/आरसी-4/एससी/2

नई दिल्ली, दिनांक 28.03.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
कोर/इलाहाबाद एवं मेट्रो रेलवे, कोलकाता।


विषय: ग्रुप सी में कांटेक्ट आधार पर पैरा मेडिकल कोटियों में नियुक्ति करना।

कोरोना वायरस के विस्फोट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के दिनांक 18.03.2020 के समसंख्यक पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें ग्रुप सी में कांटेक्ट आधार पर पैरा मेडिकल कोटियों में किराए पर रखने की योजना को 31.03.2020 से अगले छह माह की अवधि अर्थात् 30.09.2020 तक बढ़ाया गया था जो इस शर्त के अध्यक्षीन था कि ऑनरोल कुल नियमित कर्मचारी और ठेकागत नियुक्ति संवर्ग की स्वीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी।

2. कोरोना वायरस रोग के विस्फोट के कारण महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका है कि कुछ ही सप्ताह में बढ़ने वाली भीड़ को सम्हालने के लिए अतिरिक्त पैरा मेडिकल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसलिए, इस स्थिति से निपटने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/मंडल रेल प्रबंधकों को पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संवर्ग की स्वीकृत क्षमता से अधिक एक माह की अवधि के लिए ठेका आधार पर 65 वर्ष की आयु वाले सेवानिवृत्त पैरा मेडिकल स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ को किराए पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाए। यह पूरी तरह से अस्थायी उपाय है और एक माह समाप्त होने के बाद कुल स्वीकृत संख्या और शक्तियों के प्रत्योजन सहित पूर्व स्थिति बनाई रखी जाएगी जब तक कि इसे अगले आदेशों तक बढ़ाया नहीं जाता।

3. इन अनुदेशों के संदर्भ में नियुक्ति करने से पहले रेलवे/उत्पादन इकाई/मंडल स्तर पर सह वित्त की सहमति प्राप्त की जाए।

4. इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(कमल सिंह)

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (भर्ती) एवं ईडीई (एन)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: ईडी एच (जी)/रेलवे बोर्ड